फ.सं.: 5 (46) / 2014-बीई- III

भारत सरकार

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

निवेश प्रोत्साहन अनुभाग

विषय: "मेक इन इंडिया" लोगो के उपयोग की अनुमति के लिए दिशानिर्देश - के बारे में

1. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार ने "मेक इन इंडिया" पहल के तहत व्यापक अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मीडिया अभियान शुरू किए हैं। "मेक इन इंडिया" लोगो और अन्य संबंधित स्वामित्व सामग्री डीपीआईआईटी की मूल्यवान संपत्ति है। "मेक इन इंडिया" लोगो का उपयोग करके, पूरे या आंशिक रूप से, उपयोगकर्ता यह स्वीकार कर रहा है कि डीपीआईआईटी व्यापार-चिह्न का एकमात्र अधिकारी है और यह वादा करते हुए कि उपयोगकर्ता डीपीआईआईटी के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और "मेक इन इंडिया" लोगो का नुकसान, दुरुपयोग, या अपमान नहीं करेगा।

तदनुसार, विभिन्न सरकारी / अर्ध-सरकारी / निजी प्राधिकरणों द्वारा "मेक इन इंडिया" लोगो के उपयोग के लिए नीति को डीपीआईआईटी में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है:

I. "मेक इन इंडिया" लोगो का उपयोग निम्नलिखित श्रेणियों के लिए बिना किसी अनुमति के किया जाएगा: -

(i) डीपीआईआईटी, भारत सरकार के सभी प्रतिष्ठान, कार्यालय और अधिकारी।

(ii) सभी केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारें / संघ शासित प्रदेश प्रशासनों के विभाग सीधे उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में उपयोग के लिए।

(iii) विदेशों में भारतीय दूतावासों/मिशनों द्वारा "मेक इन इंडिया" लोगो का उपयोग कार्यक्रमों, विवरणिका, प्रचार सामग्री और विज्ञापनों के लिए अनुमन्य होगा जो " मेक इन इंडिया " पहल को बढ़ावा देते हैं और दूतावास/मिशन द्वारा प्रायोजित/समर्थित हैं।

II. निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए, "मेक इन इंडिया" लोगो का उपयोग डीपीआईआईटी, भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ किया जा सकता है: -

(i) सीआईआई / फिक्की / एसोचैम / पीएचडीसीसीआई आदि जैसे उद्योग निकायों के सहयोग से संचालित कार्यक्रमों के लिए सभी केंद्र सरकार के मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य सरकारों के विभाग / संघ शासित प्रदेश प्रशासन

(ii) वे सभी कार्यक्रम जिनके लिए वित्तीय सहायता डीपीआईआईटी, भारत सरकार द्वारा दी गई है।

(iii) एक निश्चित अवधि के लिए, "मेक इन इंडिया" पहल को बढ़ावा देने वाले निजी निकायों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए।

III. कार्यक्रमों, प्रकाशनों, वेबसाइटों / पोर्टलों के लिए लोगो का उपयोग

(i) निम्नलिखित पर विशेष महत्त्व देने के साथ, ऊपर दिए गए पैरा II और III के तहत श्रेणियों के लिए "मेक इन इंडिया" लोगो के उपयोग की अनुमति मामले की योग्यता पर विचार करने के बाद दी जाएगी:

(क) कार्यक्रम का स्वरूप और महत्व

(ख) आयोजकों की प्रोफाइल/पिछली उपलब्धियाँ

(ग) प्रतिभागियों और प्रतिनिधियों की प्रोफाइल

(घ) स्थल पर प्रदर्शनी की जगह के माध्यम से अन्य प्रदेय की पेशकश, प्रतिनिधि किट आदि में डीपीआईआईटी की प्रचार सामग्री का वितरण।

(ii) प्रकाशनों, वेबसाइटों / पोर्टलों पर "मेक इन इंडिया" लोगो के उपयोग के अनुरोधों को केवल तभी माना जाएगा जब प्रकाशन, वेबसाइट / पोर्टल "मेक इन इंडिया" के तहत स्वीकृत क्षेत्रों से संबंधित हों। इस तरह के अनुरोधों को प्रत्येक मामले की योग्यता पर विचार करने के बाद स्वीकार किया जाएगा।

(iii) व्यक्तियों द्वारा "मेक इन इंडिया" लोगो के उपयोग के अनुरोधों पर विचार किया जाएगा यदि ऐसे अनुरोध "मेक इन इंडिया" ध्येय को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के अनुरोधों को प्रत्येक मामले की योग्यता पर विचार करने के बाद स्वीकार किया जाएगा।

IV इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कार्यक्रमों के लिए लोगो का उपयोग

(i) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कार्यक्रमों के लिए "मेक इन इंडिया" लोगो के उपयोग के लिए प्राप्त अनुरोध, जैसे कि बहस, चर्चा या किसी अन्य को प्रत्येक मामले की योग्यता पर विचार किया जाएगा:

(क) कार्यक्रम का स्वरूप

(ख) कार्यक्रम के उत्पादकों का प्रोफाइल/ पिछली उपलब्धियाँ

(ग) नियोजित दर्शक

(घ) कार्यक्रम की विषय वस्तु और कार्यक्रम में विनिर्माण से संबंधित विषय वस्तु को शामिल करना

(ङ) कार्यक्रम "मेक इन इंडिया" के साथ-साथ देश की संस्कृति और विरासत के तहत स्वीकृत क्षेत्रों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में किस हद तक मदद करेगा।

V "मेक इन इंडिया" लोगो के उपयोग की अनुमति देने की प्रक्रिया

(i) लोगो के उपयोग के सभी अनुरोधों को इन दिशानिर्देशों के आधार पर और निदेशक (निवेश प्रोत्साहन) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) डीपीआईआईटी को अनुरोध पर कोई भी निर्णय लेने से पहले कार्यक्रम, प्रकाशन, वेबसाइट / पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम, आदि के लिए लोगो के उपयोग के लिए अनुरोधों के संबंध में किसी भी अतिरिक्त जानकारी को मांगने का अधिकार होगा।

(iii) डीपीआईआईटी के विचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कार्यक्रमों के लिए लोगो के उपयोग के सभी अनुरोधों को इन दिशानिर्देशों के पैरा .IV (i) के अनुसार पूर्ण विवरण के साथ कम से कम 30 दिनों पहले डीपीआईआईटी में प्राप्त किया जाना चाहिए।

VI किसी अन्य उद्देश्य के लिए "मेक इन इंडिया" लोगो का उपयोग प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर किया जाएगा, जो प्रत्यक्षता, प्रभाव और विनिर्माण या इसके संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और निदेशक (निवेश प्रोत्साहन) का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

VII "मेक इन इंडिया" लोगो के उपयोग के लिए डीपीआईआईटी, भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति निम्नलिखित के अधीन होगी:

(i) पर्याप्त सूचना देकर, डीपीआईआईटी को "मेक इन इंडिया" लोगो के उपयोग की अनुमति वापस लेने का अधिकार ।

(ii) अंतिम रूप देने से पहले, "मेक इन इंडिया" लोगो के उपयोग के लिए प्रस्तावित डिजाइन और लेआउट के अवलोकन के लिए डीपीआईआईटी का अधिकार

VIII आवेदकों को "मेक इन इंडिया" लोगो के उपयोग के लिए अपने आवेदन संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करने चाहिए दिए गए ईमेल पर: **be3-dipp@gov.in**

"मेक इन इंडिया" लोगो का उपयोग करने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

क्र.सं.	**कार्यकलाप**	**विवरण**
1	कार्यक्रम का नाम जिसके लिए "मेक इन इंडिया" लोगो के उपयोग की अनुमति मांगी जा रही है।	
2	कार्यक्रम की तारीख	
3	प्रतिभागी संस्थाओं का विवरण	
4	उद्देश्य जिस के लिए लोगो का उपयोग किया जाएगा	
5	प्रस्तावित कार्यक्रम में "मेक इन इंडिया" की संबद्धता	

आवेदक का नाम:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

टेलीफ़ोन:

मोबाइल:

ईमेल:

पता: